डा. के. जयकुमार, आईएएस
संयुक्त सचिव
Dr. K. JAYAKUMAR, IAS
Joint Secretary

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

पत्र सं. 20-5(4)/2001-राभा
दिनांक : 23 .10.2009

सेवा में

<u>सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक</u>

**विषय : हिंदी पदधारियों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य ही लिया जाना (the officers/employees working against Hindi posts be entrusted the work pertaining to implementation of Official Language Policy only)**

संघ सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं तत्संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेशों तथा सरकारी आदेशों, निदेशों आदि के अनुपालन के सुनिश्चियन हेतु परिषद की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में हिंदी संबंधी पदों का सर्जन किया गया है। (The posts of Hindi incumbents have been created in all the national laboratories/institutes of the Council so as to ensure effective compliance of implementation of Official language Policy of Union Government and constitutional provisions, Presidential and Government of India orders and directives thereof).

देखने में आया है कि परिषद की कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सर्जित हिंदी पदधारियों (यथा हिंदी अधिकारियों, हिंदी अनुवादकों, हिंदी शिक्षकों, हिंदी से जुड़े अन्य पदधारियों आदि) की सेवाओं का उपयोग राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों के बजाय अथवा उनके साथ-साथ किसी अन्य प्रशासनिक अथवा अन्यथा कार्य के लिए किया जा रहा है जो कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन है। सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक लिया गया है।

फलत: अनुरोध है कि आपकी प्रयोगशाला/संस्थान में कार्यरत हिंदी पदाधिकारियों यथा - हिंदी अधिकारियों/हिंदी अनुवादकों/हिंदी शिक्षकों, हिंदी से जुड़े अन्य पदधारियों आदि की सेवाओं का उपयोग **केवल** संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए ही किया जाए ताकि जहां एक ओर इन इन पदों के सर्जन का मूल उद्देश्य प्राप्त हो सके वहीं दूसरी ओर संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के सुनिश्चियन के साथ-साथ संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सके (to ensure compliance of Official Language Policy of Union Government of India and to project better before the Parliamentary Committee)।

अत: अनुरोध है कि प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक उक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें और इस हेतु उठाए गए कदमों के फलस्वरूप हुई प्रगति प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट के साथ सीएसआईआर मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।

भवदीय,

के. जयकुमार

(के. जयकुमार)

Tel. : 91-11-23716582, 23351745 Fax : 91-11-23714788 E-mail : jsa@csir.res.in

को/प्रति
रजि.पोस्ट

डा. के. जयकुमार, आईएएस
संयुक्त सचिव
Dr. K. JAYAKUMAR, IAS
Joint Secretary

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

पत्र सं. 20-5(4)/2001-राभा
दिनांक : 23.10.2009

सेवा में

<u>सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक</u>

**विषय : हिंदी पदधारियों से राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य ही लिया जाना (the officers/employees working against Hindi posts be entrusted the work pertaining to implementation of Official Language Policy only)**

संघ सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन एवं तत्संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राष्ट्रपति के आदेशों तथा सरकारी आदेशों, निदेशों आदि के अनुपालन के सुनिश्चियन हेतु परिषद की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में हिंदी संबंधी पदों का सर्जन किया गया है। (The posts of Hindi incumbents have been created in all the national laboratories/institutes of the Council so as to ensure effective compliance of implementation of Official language Policy of Union Government and constitutional provisions, Presidential and Government of India orders and directives thereof).

देखने में आया है कि परिषद की कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों में संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सर्जित हिंदी पदधारियों (यथा हिंदी अधिकारियों, हिंदी अनुवादकों, हिंदी शिक्षकों, हिंदी से जुड़े अन्य पदधारियों आदि) की सेवाओं का उपयोग राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों के बजाय अथवा उनके साथ-साथ किसी अन्य प्रशासनिक अथवा अन्यथा कार्य के लिए किया जा रहा है जो कि सरकारी आदेशों का उल्लंघन है। सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा इसे गंभीरतापूर्वक लिया गया है।

फलत: अनुरोध है कि आपकी प्रयोगशाला/संस्थान में कार्यरत हिंदी पदाधिकारियों यथा - हिंदी अधिकारियों/हिंदी अनुवादकों/हिंदी शिक्षकों, हिंदी से जुड़े अन्य पदधारियों आदि की सेवाओं का उपयोग **केवल** संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए ही किया जाए ताकि जहां एक ओर इन इन पदों के सर्जन का मूल उद्देश्य प्राप्त हो सके वहीं दूसरी ओर संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के सुनिश्चियन के साथ-साथ संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सके (to ensure compliance of Official Language Policy of Union Government of India and to project better before the Parliamentary Committee)।

अत: अनुरोध है कि प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक उक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के अपने दायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करें और इस हेतु उठाए गए कदमों के फलस्वरूप हुई प्रगति प्रत्येक तिमाही रिपोर्ट के साथ सीएसआईआर मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।

जारी किया
ISSUED
2009
सी एस आई आर
C. S. I. R.

भवदीय,
के जयकुमार
(के. जयकुमार)

(38) Copies.

प्रतिलिपि:
1. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी/हिंदी अधिकारी/हिंदी अनुवादक

Tel.: 91-11-23716582, 23351745 Fax : 91-11-23714788 E-mail : jsa@csir.res.in

अ.।प्रति
स्पीड-पोस्ट

सत्यमेव जयते

डा. के. जयकुमार, आईएएस
संयुक्त सचिव
Dr. K. JAYAKUMAR, IAS
Joint Secretary

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001

जारी किया
ISSUED
23 2009
सी० एस० आई० आर०
C. S.I. R.

पत्र सं. 20-5(4)/2001-राभा
(38) Copies.
दिनांक : 23 .10.2009

सेवा में

<u>परिषद की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक</u>

संघ सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सभी प्रकार के शासकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर उपयोग अपेक्षित है (Progressive use of Official language Hindi is required in all types of official work as per the policy of the Union Government of India) । फलत: राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, तत्संबंधी राष्ट्रपति एवं सरकारी आदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने हेतु विगत वर्षों में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा परिषद की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों का निरीक्षण किया जाता रहा है।

समिति का यह निरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है । (The Inspection of the Committee is a continuous process). इन निरीक्षणों के दौरान उक्त समिति को संबंधित प्रयोगशालाओं/संस्थानों की ओर से कुछ आश्वासन भी दिए जाते रहे हैं। परंतु देखने में आया है कि प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा इन आश्वासनों को पूरा करने (fulfillment of the assurances) की दिशा में गम्भीर प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हालांकि परिषद मुख्यालय द्वारा तिमाही प्रगति रिपोर्ट के समीक्षा व अन्य पत्रों के माध्यम से ऐसे आश्वासनों को समय पर (Timely) पूरा करने हेतु संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान का विशेष तौर पर ध्यान भी आकर्षित किया जाता रहा है । अत: इस ओर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और ऐसे आश्वासनों को पूरा करने की दिशा में की गई कार्रवाई रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय को सीएसआईआर मुख्यालय के माध्यम से ही समय पर (Timely) भिजवाई जाए।

यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक होगा कि उक्त संसदीय समिति आपकी प्रयोगशाला/संस्थान का कभी भी निरीक्षण कर सकती है।

अत: अनुरोध है कि अपेक्षित जानकारी संलग्न प्रोफॉर्मा के अनुसार **16 नवम्बर, 2009 तक** मुख्यालय को अवश्य भिजवाई जाए।

It may please be accorded "**Top Priority**".

भवदीय,
के जयकुमार
(के. जयकुमार)

**संलग्नक : यथोक्त**

Tel. : 91-11-23716582, 23351745 Fax : 91-11-23714788 E-mail : jsa@csir.res.in

**संलग्नक**

**प्रयोगशाला/संस्थान का नाम :** ..............................................................................................................

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य (Oral Evidence) की तारीख/क्रमवार तारीखें | |
| 2. | संसदीय राजभाषा समिति की **आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति** के समक्ष विचार-विमर्श की **तारीख/क्रमवार तारीखें** [Date(s) of Discussion Programme with the Drafting & Evidence Sub-Committee] | |
| 3. | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी **उप-समिति** द्वारा प्रयोगशाला/संस्थान के अब तक किए गए **निरीक्षण की तारीख/क्रमवार तारीखें** | |
| 4. | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा प्रयोगशाला/संस्थान के **अंतिम बार** किए गए निरीक्षण के समय प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा उक्त समिति को दिए गए **आश्वासनों की कुल संख्या (कृपया आश्वासनों की ध्यान देने योग्य बातों सहित फोटोप्रति संलग्न करें)।** | |
| 5. | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा प्रयोगशाला/संस्थान के **अंतिम बार** किए गए निरीक्षण के समय प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा उक्त समिति को दिए गए आश्वासनों में से **पूरे किए गए** आश्वासनों की संख्या/संख्या क्रमांक | |
| 6. | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा प्रयोगशाला/संस्थान के **अंतिम बार** किए गए निरीक्षण के समय प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा उक्त समिति को दिए गए आश्वासनों की संख्या/संख्या क्रमांक जिन्हें अब तक **पूरा नहीं** किया गया है। | |
| 7. | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा प्रयोगशाला/संस्थान के **अंतिम बार** किए गए निरीक्षण के समय प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा उक्त समिति को दिए गए शेष आश्वासनों को पूरा करने हेतु क्या उक्त समिति सचिवालय से **समय-विस्तार (extension)** मांगा गया? यदि हॉं, तो संसदीय राजभाषा समिति को समय विस्तार मांगने विषयक भेजे गए पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें। | |
| 8. | संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति द्वारा प्रयोगशाला/संस्थान के **अंतिम बार** किए गए निरीक्षण के समय प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा उक्त समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के पश्चात क्या **रिपोर्ट** संसदीय राजभाषा समिति को भेजी गई? यदि हॉं, तो **रिपोर्ट तथा भेजे गए पत्र की फोटोप्रति संलग्न करें।** | |

**मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त जानकारी की जांच कर ली है और यह हर प्रकार से पूरी और सही है।**
**I hereby certify that I have personally verified the above information and that it is complete and correct in all respects.**

निदेशक के हस्ताक्षर :

निदेशक का नाम :

मोहर :

दिनांक :

**नोट :** 1. प्रोफॉर्मा भरते समय इसके प्रत्येक कॉलम को अच्छी तरह समझने और पक्की जांच करने के पश्चात ही प्रोफॉर्मा को भरा जाए।
2. किसी भी कॉलम को **खाली** न छोड़ा जाए।
3. प्रोफॉर्मा को भेजने से पहले यह जॉंच कर ली जाए कि प्रोफॉर्मा के साथ **संलग्नक** लगा दिए गए हैं।